हरियाणा सरकार
शहरी स्थानीय निकाय विभाग
अधिसूचना

दिनांक 25 नवम्बर, 2026

संख्या 09/90/2026–4क–II.– हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उप–विधियां, 2022 को आगे संशोधित करने के लिए उपविधियों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24) की धारा 70 की उप–धारा (1) के खण्ड (xv) के साथ पठित धारा 200 के खण्ड (त) तथा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 16) की धारा 392छ के खण्ड (16) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं, क्रमशः 1973 के अधिनियम की धारा 216 तथा 1994 के अधिनियम की धारा 394 के अधीन यथापेक्षित, इसके द्वारा, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित करने का प्रस्ताव करते हैं, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है।

इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से सात दिन की अवधि की समाप्ति पर अथवा इसके पश्चात, उप–विधियों के प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों अथवा सुझावों, यदि कोई हो, के साथ, जो आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा लिखित रूप में किसी व्यक्ति से प्रारूप उप–विधियों के संबंध में इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी।

प्रारूप उप–विधियां

1. **ये उप–विधियां हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन (संशोधन) उप–विधियां, 2026 कही जा सकती हैं।**

2. हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उप–विधियां, 2022 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद उक्त उप–विधियां कहा गया है) में, उप–विधि 2 कों खण्ड (1) में,–

(क) उप–खण्ड (vii क) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(vii क) "ओ.एम.डी समूह" से अभिप्राय है, विभिन्न अवस्थितियों पर दो या अधिक पृथक रूप से पहचान किए गए ओ.एम.डी का समूह, जिसे नगरपालिका द्वारा विज्ञापन अधिकार प्रदान करने के लिए ई–नीलामी या ई–निविदा, जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से एक संयुक्त इकाई के रूप में वर्गीकृत प्रस्तुत किया जाए";

(ख) उप–खण्ड (xxiii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(xxiii) "ओ.एम.डी" से अभिप्राय है, पहचान किए जाने योग्य स्थान पर एक विशिष्ट बाहरी मीडिया यन्त्र, जिसमें विज्ञापन सामग्री तथा संरचना, पैनल, स्क्रीन, फ्रेम, नींव, आधार, माउंटिंग या प्रदर्शन के लिए उपयोग की जाने वाली अन्य भौतिक व्यवस्था शामिल है;"।

3. उक्त उप–विधियों में, उप–विधि 3 कों, खण्ड (2) में, उप–खण्ड (i) और (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:–

"(i) किस्म कः अग्रिम त्रैमासिक भुगतान सहित अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक ;

(ii) किस्म ख तथा किस्म गः अग्रिम त्रैमासिक भुगतान सहित अधिकतम पांच वर्ष की अवधि तक;"।

4. उक्त उप–विधियों में, उप–विधि 11 कों, खण्ड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(2) नगरपालिका संपत्तियों में किसी भी प्रकार की सड़क का मार्ग अधिकार (जिसमें किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, निगम, विभाग या सरकारी संस्था के स्वामित्वाधीन सड़कें और संरचनाएं शामिल हैं) तथा इन उप–विधियों में यथा परिभाषित सार्वजनिक स्थान शामिल होंगे।

व्याख्या.– इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "संरचना" में फुट–ओवर बिज, स्काईवॉक, फ्लाइओवर, पैदल पुल तथा सड़कों पर या उसके अभिव्यक्ति ऊपर स्थित अन्य संरचनाएं और उनके रास्ता अधिकार शामिल है।"

5. उक्त उप–विधियों में, उप–विधि 13 में, खण्ड (8) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(8) अवार्डिड पंजीकृत संस्था के लिए भुगतान अनुसूची, अनुमति अवधि के लिए प्रति वर्ग मीटर प्रति मास रूपऐ में अधिनिर्णीत कीमत रूपए में के आधार पर अग्रिम त्रैमासिक भुगतान होगी। अवार्डिड पंजीकृत इकाई द्वारा ओ.एम.डी या ओ.एम.डी के समूह के वार्षिक परियोजना मूल्य के पच्चीस प्रतिशत के समतुल्य एक निष्पादन बैंक गारंटी भी प्रस्तुत की जाएगी, जो एक समय में एक वर्ष के लिए वैध होगी। प्रत्येक अगले वर्ष या उसके भाग के लिए, अवार्डिड पंजीकृत संस्था द्वारा मौजूदा गारंटी की समाप्ति से पूर्व बिना किसी रुकावट के वैधता के दौरान उसी आधार पर निष्पादन बैंक गारंटी प्रस्तुत या नवीनीकृत की जाएगी। निष्पादन बैंक गारंटी इन उप–विधियों के अधीन दायित्वों के सम्यक् पालन तथा नीलामी की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करेगी।

टिप्पण.– इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, ""वार्षिक परियोजना मूल्य"" से अभिप्राय है, प्री–क्वालिफिकेशन तथा बयाना राशि जमा (EMD) के प्रयोजन के लिए, ओ.एम.डी या ओ.एम.डी के समूह का वार्षिक मूल्य, आरक्षित कीमत के आधार पर आकलित किया जाएगा तथा अवार्ड के बाद निष्पादन बैंक गारंटी के प्रयोजन के लिए स्वीकृत बोली कीमत के आधार पर आकलित किया जाएगा; तथा जहां लागू कीमत रूपए प्रति वर्ग मीटर प्रति मास के रूप में कथित है, वहां ई–नीलामी आमंत्रण नोटिस में विनिर्दिष्ट कुल प्रदर्शन क्षेत्र को उक्त कीमत से तथा बारह से गुणा करके आकलित किया जाएगा"।

6. उक्त उप–विधियों में, अनुबन्ध 5 में,–

क. प्रविष्टि ख. 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"ख. 1	यूनिपोल, बिलबोर्ड, होर्डिंग, भवन बोर्ड, पोल–स्थापित विज्ञापन बोर्ड तथा सार्वजनिक भूमि पर स्थित समान प्रकार के पारंपरिक भूमि–आधारित या संरचना–स्थापित वाणिज्यिक ओ.एम.डी।"

ख. प्रविष्टि ख. 1 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:–

"ख. 2	दीवार आवरण, दीवार–चित्रित विज्ञापन, भवन आवरण, स्कैफोल्डिंग आवरण, निर्माण–स्थल अग्रभाग आवरण, अग्रभाग पैनल तथा सार्वजनिक भवनों या संरचनाओं पर अनुमत अन्य अग्रभाग–आधारित वाणिज्यिक ओ.एम.डी।
ख. 3	स्वतंत्र बहुउपयोगी उत्पादन सूचना पैनल (एमयूपीआई), शहरी पैनल, नगर–सूचना पैनल, ध्वज चिह्न, लॉलीपॉप चिह्न, मीडिया या सूचना कीयॉस्क, टोटम, मीडिया कॉलम, विज्ञापन कॉलम, सूचना कॉलम तथा सार्वजनिक भूमि पर स्थित समान प्रकार के संक्षेप या स्वतंत्र वाणिज्यिक ओ.एम.डी।
ख. 4	एक ही सार्वजनिक स्थल पर स्थित बहुविध वाणिज्यिक ओ.एम.डी, जिसमें सार्वजनिक भूमि, सार्वजनिक भवन या सार्वजनिक परिसर शामिल हैं; प्रत्येक ओ.एम.डी की नीलामी अभिलेख में अलग से पहचान की जाएगी"।

ग. प्रविष्टि ग. 3 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:–

ग. 4	स्वतंत्र बहुउपयोगी उत्पादन सूचना पैनल (एमयूआईपी), शहरी पैनल, नगर–सूचना पैनल, ध्वज चिह्न, लॉलीपॉप चिह्न, मीडिया या सूचना कीयॉस्क, टोटम, मीडिया कॉलम, विज्ञापन कॉलम, सूचना कॉलम तथा निजी भूमि पर स्थित समान प्रकार के संक्षेप या स्वतंत्र वाणिज्यिक ओ.एम.डी।

घ. विद्यमान तालिका के अन्त में, निम्नलिखित टिप्पण जोडा जाएगा, अर्थात्:–

"टिप्पण.–

1. प्रविष्टि ख. 1 से ख. 4 तथा ग. 4 के प्रयोजनों के लिए,–
   (क) "एकीकृत सार्वजनिक उपयोगिता ओ.एम.डी" से अभिप्राय है, ऐसे ओ.एम.डी जो किसी अनुमोदित सार्वजनिक उपयोगिता, सार्वजनिक परिवहन या सड़क फर्नीचर सुविधा के साथ भौतिक रूप से सम्मिलित और सहायक रूप में जुड़ा हो, जहां उक्त सुविधा का उपयोगिता कार्य ही प्रमुख उद्देश्य बना रहता है;
   (ख) "स्वतंत्र वाणिज्यिक ओ.एम.डी" से अभिप्राय है, ऐसे ओ.एम.डी जो किसी सार्वजनिक उपयोगिता, सार्वजनिक परिवहन या सड़क फर्नीचर सुविधा से भौतिक रूप से स्वतंत्र हो और जिसका प्रमुख उद्देश्य वाणिज्यिक विज्ञापन हो;
   (ग) "एमयूपीआई" से अभिप्राय है, बहुउपयोगी उत्पादन सूचना पैनल जो सार्वजनिक सूचना और/अथवा विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया हो;
   (घ) "लॉलीपॉप चिह्न" से अभिप्राय है, ऐसे संक्षेप ओ.एम.डी जिसमें एक या अधिक प्रदर्शन पैनल एक ही उर्ध्वाधर सहायक संरचना पर स्थापित हों; तथा
   (ङ) "टोटम" से अभिप्राय है, ऐसे स्वतंत्र उर्ध्वाधर ओ.एम.डी जिसमें मीडिया कॉलम या विज्ञापन कॉलम शामिल हो सकता है और जो एक स्वतंत्र सहायक संरचना पर एक या अधिक प्रदर्शन सतह रखता हो।"
2. बहुउपयोगी उत्पादन सूचना पैनल (एमयूपीआई), ध्वज चिह्न या लॉलीपॉप चिह्न केवल उस स्थिति में वर्गीकरण क के अधीन आएंगे, जब वे एकीकृत सार्वजनिक उपयोगिता ओ.एम.डी हों। स्वतंत्र वाणिज्यिक एमयूपीआई, ध्वज चिह्न, लॉलीपॉप चिह्न, टोटम, मीडिया कॉलम, विज्ञापन कॉलम या समान प्रकार के अन्य ओ.एम.डी, यदि सार्वजनिक भूमि पर स्थित हों, तो वर्गीकरण ख की उपयुक्त प्रविष्टि के अधीन आएंगे तथा यदि निजी भूमि पर स्थित हों, तो प्रविष्टि ग. 4 के अधीन आएंगे। यूनिपोल तथा निजी भूमि पर स्थित अन्य पारंपरिक ओ.एम.डी पूर्ववत् प्रविष्टि ग. 1 के अधीन ही आएंगे।
3. प्रविष्टि छ. 1 तथा झ. 1 अतिरिक्त वर्गीकरण हैं। इन्हें लागू प्रमुख वर्गीकरण के साथ पढ़ा जा सकता है ताकि क्रमशः नवाचारी या प्रौद्योगिकी–आधारित विशेषता तथा भवन के भीतर स्थित विशेषता की पहचान की जा सके। प्रमुख वर्गीकरण ही आधारभूत स्थल या स्वामित्व वर्गीकरण तथा लागू आधारभूत शर्तों का निर्धारण करता रहेगा।
4. प्रविष्टि ख. 4 या ग. 3 के अधीन प्रत्येक ओ.एम.डी तथा ओ.एम.डी के समूह का भाग बनने वाले प्रत्येक अलग ओ.एम.डी की, यथास्थिति, लागू अनुमोदन या नीलामी अभिलेख में अलग से पहचान, मापन, मानचित्रण तथा अभिलेखीकरण किया जाएगा।"।

7. उक्त उप–विधियों में, अनुसूची–I में, पैरा 14 में, उप–पैरा (9) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(9) निम्न अनिवार्य शर्तों के अध्यधीन, यथास्थिति, वर्गीकरण ख. या वर्गीकरण ग. के अधीन ईंधन वितरण केन्द्रों तथा खुदरा पेट्रोलियम आउटलेटों के परिसरों के भीतर तृतीय पक्षकार वाणिज्यिक विज्ञापन अनुमत होंगे:–

(क) पेट्रोलियम नियम, 2002 के अधीन यथा चिन्हित खतरनाक या विस्फोटक जोन के भीतर किसी भी ओ.एम.डी, संरचनात्मक फ्रेम या डिजिटल स्क्रीन को स्थापित नहीं किया जाएगा।

(ख) पेट्रोलियम तथां विस्फोटक सुरक्षा संगठन तथा सक्षम अग्नि सुरक्षा प्राधिकरण से पूर्व लिखित अनापत्ति प्रमाण–पत्र तथा ले–आउट अनुमोदन, आवेदन के साथ या ई–नीलामी के लिए सूचीबद्ध किए जाने से पूर्व, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।

(ग) ईंधन वितरण केन्द्रों पर वर्गीकरण छ (एल.ई.डी/एल.सी.डी/डिजिटल स्क्रीन) में ज्वालारोधी, आंतरिक रूप से सुरक्षित विद्युत फिटिंग तथा स्वतः चमक मदन नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। किसी भी दशा में, डिजिटल प्रदर्शन ईंधन वितरण केन्द्र में प्रवेश या निकास करने वाले यातायात को विचलित नहीं करेंगे।

(घ) ओ.एम.डी की प्रदर्शन सतह या स्क्रीन को केवल भीतरी दिशा में, ईंधन वितरण केन्द्र के भीतरी परिसर की ओर उन्मुख रखा जाएगा। कोई भी ओ.एम.डी सटे हुए सार्वजनिक मार्ग या राजमार्ग पर चल रहे वाहन यातायात का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से उन्मुख या स्थापित नहीं किया जाएगा।

(ङ) वर्गीकरण छ. के अधीन किसी भी डिजिटल ओ.एम.डी को ईंधन वितरण केन्द्र के प्रवेश या निकास मार्ग पर या उसके तात्कालिक निकट स्थापित नहीं किया जाएगा। ऐसे स्क्रीन की स्थापना केवल प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्र या पार्किंग क्षेत्र तक सीमित रहेगी ताकि प्रकाश तीव्रता के कारण प्रवेश या निकास बिन्दुओं से गुजरने वाले वाहन चालकों के लिए चमक या दृश्य विक्षेपण उत्पन्न न हो।"।

अशोक कुमार मीणा
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
शहरी स्थानीय निकाय विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT
NOTIFICATION

The 25th November, 2026

No. 09/90/2026-4CII.- The following draft of the Bye-laws further to amend the Haryana Municipal Advertisement Bye-Laws, 2022 which the Governor of Haryana proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (xv) of sub-section (1) of section 70, clause (p) of section 200 of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973) and clause (16) of section 392 G of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994 (16 of 1994), is hereby published as required under section 216 of the Act of 1973 and section 394 of the Act of 1994 respectively, for information of persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given that the draft bye-laws shall be taken into consideration by the State Government on or after the expiry of a period of seven days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, together with objections or suggestions, if any, which may be received by the Commissioner and Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department, Chandigarh from any person with respect to the following draft bye-laws before expiration of specified period, namely:—

Draft Byelaws

1. These bye-laws may be called the Haryana Municipal Advertisement (Amendment) Bye-laws, 2026.

2. In the Haryana Municipal Advertisement Bye-laws, 2022 (hereinafter referred to as the said bye-laws), in bye-law 2, in clause (1),-

   (a) for sub-clause (vii a), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

   "(vii a) "Cluster of OMDs" means a group of two or more separately identified OMDs at different locations, grouped and offered by the municipality as one composite unit for grant of advertisement rights through e-auction or e-tender, as the case may be;";

   (b) for sub-clause (xxiii), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

   "(xxiii) "OMD" means a distinct Outdoor Media Device at an identifiable location, including its advertisement material and the structure, panel, screen, frame, foundation, support, mounting or other physical arrangement used for its display;".

3. In the said bye-laws, in bye-law 3, in clause (2), for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely:-

   "(i) Type A: up to a maximum period of five years, with advance quarterly payments;
   (ii) Type B and Type C: up to a maximum period of five years, with advance quarterly payments;".

4. In the said bye-laws, in bye-law 11, for clause (2), the following clause shall be substituted, namely: -

   "(2) The municipal properties shall include the Right of Way of any type of road (including roads and structures under the ownership of any Authority, Board, Corporation, Department or Government Entity) and public places as defined in these bye-laws.

   Explanation.- For the purposes of this clause, the expression "structures" includes foot-over bridges, skywalks, flyovers, pedestrian bridges and other structures situated on or over roads and their Rights of Way.".

5. In the said bye-laws, in bye-law 13, for clause (8), the following clause shall be substituted, namely:-

   "(8) The payment schedule for the awarded registered entity shall be advance quarterly payment based on the awarded price in rupees per square metre per month for the period of permission. The awarded registered entity shall also furnish a Performance Bank Guarantee equivalent to twenty-five per cent of the Annual Project Value of the OMD or Cluster of OMDs, valid for one year at a time. For each subsequent year or part thereof, the awarded registered entity shall furnish or renew the Performance Bank Guarantee on the same basis before expiry of the existing guarantee, without any break in validity. The Performance Bank Guarantee shall secure due performance of the obligations under these bye-laws and the conditions of auction."

   Note.- "Annual Project Value", for the purposes of this clause, means the annual value of an OMD or a Cluster of OMDs calculated at the reserve price for the purposes of Pre-Qualification and Earnest Money Deposit and, after award, at the accepted bid price for the purpose of Performance Bank Guarantee; and, where the applicable price is stated in rupees per square metre per month, shall be calculated by multiplying the aggregate display area specified in the notice inviting e-auction by such price and by twelve."

6. In the said bye-laws, in Annexure 5,-

   (a) for entry B1, the following entry shall be substituted, namely:-

Entry	Typology Description
"B1	Unipoles, billboards, hoardings, building boards, pole-mounted advertising boards and similar conventional ground-based or structure-mounted commercial OMDs on public land.".

   (b) after entry B1, the following entries shall be inserted, namely:-

Entry	Typology Description
"B2	Wall wraps, wall-painted advertisements, building wraps, scaffolding wraps, construction-site facade wraps, facade panels and other permitted facade-based commercial OMDs on public buildings or structures.
B3	Standalone MUPIs, urban panels, city-information panels, flag signs, lollipop signs, media or information kiosks, totems, media columns, advertising columns, information columns and similar compact or freestanding commercial OMDs on public land.

Entry	Typology Description
B4	Multiple commercial OMDs at a common public site, including public land, a public building or public premises; each OMD shall be separately identified in the auction inventory.".

(c) after entry C3, the following entry shall be inserted, namely:-

Entry	Typology Description
"C4	Standalone MUPIs, urban panels, city-information panels, flag signs, lollipop signs, media or information kiosks, totems, media columns, advertising columns, information columns and similar compact or freestanding commercial OMDs on private land.".

(d) In the end of the existing table at Annexure 5, the following Note shall be added, namely:-

"Note.-

1. For the purposes of entries B1 to B4 and C4,-

(a) "integrated public-utility OMD" means an OMD physically incorporated with, and ancillary to, an authorised public-utility, public transport or street-furniture facility, of which the utility function remains the principal purpose;

(b) "standalone commercial OMD" means an OMD physically independent of a public-utility, public transport or street-furniture facility, of which commercial advertising is the principal purpose;

(c) "MUPI" means a Multi Utility Production Information Panel designed to display public information and/or advertisement;

(d) "lollipop sign" means a compact OMD having one or more display panels mounted on a single vertical support; and

(e) "totem" means a freestanding vertical OMD, including a media column or advertising column, having one or more display faces on an independent support.

2. A MUPI, flag sign or lollipop sign shall fall under Typology A only where it is an integrated public-utility OMD. A standalone commercial MUPI, flag sign, lollipop sign, totem, media column, advertising column or similar OMD shall fall under the appropriate entry of Typology B when situated on public land and under entry C4 when situated on private land. Unipoles and other conventional OMDs on private land shall continue to fall under entry C1.

3. Entries G1 and I1 are overlay classifications. They may be read in combination with the applicable primary typology to identify, respectively, an innovative or technology-based attribute and an inside-building attribute. The primary typology shall continue to determine the underlying site or ownership classification and the applicable base conditions.

4. Every OMD under entry B4 or C3, and each individual OMD forming part of a Cluster of OMDs, shall be separately identified, measured, mapped and recorded in the applicable approval or auction inventory, as the case may be."

7. In the said bye-laws, in Schedule-I, in paragraph 14, for sub-paragraph (9), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-

"(9) Third-party commercial advertisements shall be permissible within the premises of fuel dispensing stations and retail petroleum outlets under Typology B or Typology C, as the case may be, subject to the following mandatory conditions:-

(a) No Outdoor Media Device (OMD), structural frame or digital screen shall be installed within the hazardous or explosive zone as demarcated under the Petroleum Rules, 2002.

(b) Prior written No Objection Certificate and layout clearance from the Petroleum and Explosives Safety Organisation and the competent Fire Safety Authority shall be mandatorily submitted along with the application or before listing for e-auction.

(c) Typology G (LED/LCD/digital screens) at fuel stations shall use flame-proof, intrinsically safe electrical fittings and automatic luminance dimming controls. In no case shall digital displays distract traffic entering or exiting the fuel station.

(d) The display surface or screen of the OMD shall be oriented strictly inwards, facing the interior of the fuel station premises. No OMD shall be directed towards, or intended to capture the attention of, vehicular traffic moving on the abutting public street or highway.

(e) A digital OMD under Typology G shall not be installed at, or immediately adjacent to, the ingress or egress driveways of the fuel station. The placement of such screens shall be restricted to the core commercial or parking area so that luminance does not cause glare or visual distraction to drivers navigating the access points."

ASHOK KUMAR MEENA,
Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. 9/90/2026-4CII Dated Chandigarh, the 25th November, 2026

A copy is forwarded to the Controller, Printing and Stationery Department, Haryana, Chandigarh with a request that the above notification (in English & Hindi language) may please be published in the Haryana Government Gazette (Extra-Ordinary).

Further, it is requested to supply 50-50 printed copies of the said notification to the Commissioner & Secretary to Govt. Haryana to Government. Haryana, Urban Local Bodies Department, Chandigarh.

O/C 25/11/2026

(Vinod Singh)
Superintendent
for Commissioner & Secretary to Govt. Haryana,
Urban Local Bodies Department.

Endst. No. 9/90/2026-4CII Dated Chandigarh, the 25th November, 2026

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

1. The Director General, Information, Public Relation & Cultural Affairs, Haryana, Chandigarh.
2. The Director General, Urban Local Bodies, Haryana, Panchkula.
3. The Commissioners, Municipal Corporations in the State of Haryana.
4. The District Municipal Commissioners in the State of Haryana.
5. All the Executive Officers/Secretaries, Municipal Councils/Committees in the State of Haryana.
6. All concerned members.

O/C 25/11/2026

(Vinod Singh)
Superintendent
for Commissioner & Secretary to Govt. Haryana,
Urban Local Bodies Department